संख्या -4/2023 /बी-3- 576 /दस-2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक: 16 अक्टूबर , 2023

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण हेतु बजट सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट की तैयारी का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। बजट अनुमानों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2023/बी-1-645/दस-2023-12(2)/2024, दिनांक 27.09.2023 द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राज्य सरकार के वार्षिक आय-व्ययक अनुमान प्रदेश की विधायिका के समक्ष बजट भाषण के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। बजट भाषण एक अतिसंवेदनशील अभिलेख है, जिसमें राज्य सरकार की विकास की प्राथमिकताओं, बजट में सम्मिलित विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उपलब्धियों का सारगर्भित विवरण सम्मिलित होता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि बजट भाषण में उल्लिखित आंकड़े एवं अन्य तथ्यात्मक विवरण पूर्णतया त्रुटिरहित हों।

2- इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट भाषण की तैयारी के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाये :-

(1) प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का विवरण अधिकतम 05 पृष्ठों में कृतिदेव-10 फॉण्ट में तैयार कर विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को प्रेषित किया जाय। बजट भाषण की सामग्री भी हस्ताक्षरित हार्ड कापी के साथ-साथ साफ्ट कापी (MS WORD, KRUTI DEV-10 FONT) मे सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को ई-मेल/पेन ड्राइव द्वारा प्रेषित की जाय।

(2) बजट भाषण के लिये सामग्री तैयार करते समय विभागों द्वारा राज्य सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं, फ्लैगशिप योजनाओं, उल्लेखनीय उपलब्धियों तथा नई योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाय।

(3) प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रेषित सामग्री तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों के पास उपलब्ध सामग्री/सूचना के आधार पर वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों द्वारा बजट भाषण हेतु टिप्पणी कृतिदेव-10 फॉण्ट में तैयार कर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 को हार्ड कॉपी तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

साफ्ट कापी (MS WORD, KRUTI DEV-10 FONT) में ई-मेल द्वारा प्रेषित की जाय। (Email ID- vittbudget3@gmail.com)

(4) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि ऐसी किसी योजना/कार्यक्रम का समावेश बजट भाषण की सामग्री मे न किया जाय जो बजट में सम्मिलित नहीं है। प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री में उल्लिखित बजट अनुमान, व्यय तथा भौतिक प्रगति के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं यथावश्यक संशोधन/सुधार करते हुए वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों द्वारा टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जाय।

(5) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-3 द्वारा उसी सामग्री/टिप्पणी का प्रयोग बजट भाषण का आलेख तैयार करने में किया जायेगा, जो वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों के प्रभारी विशेष सचिवों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई हो। किसी प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 को सीधे बजट भाषण की सामग्री प्रेषित कर दिये जाने पर वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 द्वारा उक्त सामग्री संबंधित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भेज दी जायेगी।

(6) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों द्वारा प्रेषित सामग्री/टिप्पणी में दी गयी सूचना का उपयोग करते हुए वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 द्वारा बजट भाषण का आलेख तैयार किया जायेगा।

(7) उपरोक्त तैयार किये गये बजट भाषण के आलेख के सुसंगत अंश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 द्वारा संबंधित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को पुष्टि हेतु भेजे जायेंगे। वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों के प्रभारी विशेष सचिवों द्वारा उक्त अंशों की पुष्टि किये जाने पर तद्नुसार बजट भाषण के आलेख को अंतिम रूप दिय जाय।

(8) प्रशासकीय विभागों तथा संबंधित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिये गये आंकड़ों तथा बजट भाषण में उल्लिखित आंकड़ों में भिन्नता कदापि न हो। यदि विभागों द्वारा प्रेषित सामग्री एवं श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित आंकड़ों में भिन्नता हो तो, संबंधित प्रशासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि इसकी सूचना तत्काल संबंधित वित्त(व्ययक-नियंत्रण) अनुभाग के माध्यम से वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 को प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित कर दी जाय।

(9) उपरोक्तानुसार तैयार किये गये बजट भाषण के आलेख पर मा0वित्त मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए बजट भाषण के मुद्रण की कार्यवाही वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 द्वारा की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट पर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु स्वहस्ताक्षरित बजट सामग्री वित्त विभाग को विलम्बतम 30.11.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- बी-3- (।)/दस-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- समस्त वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, 2 एवं 4 वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
नील रतन कुमर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।